



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन 1940 (श10)
(सं0 पटना 307) पटना, वृहस्पतिवार, 28 फरवरी 2019

गृह विभाग (कारा)

अधिसूचना

26 फरवरी 2019

सं० कारा/स्था0 (अरा0) 01-02/2019-1776 — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल “बिहार कारा ‘परिधापक’ संवर्ग नियमावली, 2010” में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।— (1) यह नियमावली “बिहार कारा ‘परिधापक’ संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019” कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार कारा ‘परिधापक’ संवर्ग नियमावली, 2010 के नियम 9 के उपनियम (2) का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली 2010 के नियम 9 के उपनियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“ (2) सेवा में सम्पुष्टि के लिए, परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक होना आवश्यक होगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

The 26th February 2019

No.- कारा/स्था0(अरा0)-01-02/19-1776—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Indian Constitution the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the "Bihar jails 'Dresser' cadre Rules, 2010" :-

1. *Short title, extent and commencement.* – (1) These Rules may be called “Bihar jail Dresser Cadre (Amendment) Rules, 2019”.

(2) It shall extend to the whole of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. *Substitution of subrule (2) of rule-9 of The Bihar jail 'Dresser' Cadre Rules, 2010. Subrule (2) of Rule 9 will be substituted by the following :-*

"(2) For confirmation in the service satisfactory service will be essential in the probation period."

By Order of The Governor of Bihar,
DIWAN JAFER HUSSAIN KHAN,
Joint Secretary-Cum-Director (Adm.).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 307-571+100 डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>